

न्यायालय: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।

दिनांक- 09.05.2026

चालान आज लोक अदालत में पेश हुआ। धारा 9(2) उ०प्र० क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 01.01.2017 से 31.12.2021 तक के समस्त चालानों को उपशमित किए गए हैं। चूंकि प्रस्तुत चालान दिनांक 31.12.2021 के पूर्व का है। अतः चालान उपरोक्त प्रावधान के संबंध में उपशमित किया जाता है।

दुर्गेश नंदिनी
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ, जे०ओ० कोड यू०पी० 1974